भारत गणराज्य की सरकार और त्रिनिदाद तथा टोबागो गणराज्य की सरकार के बोच सांस्कृतिक सहयोग करार

भारत गणराज्य की सरकार और त्रिनिदाद तथा टोबागो गणराज्य की सरकार १ इसके बाद इन्हें संविदाकारी पक्षकार कहा जास्था १,

धनिष्ठतर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित और विकस्ति करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, तथा

विज्ञान और प्रौद्योगिको, समाज-कल्याण, जन स्वास्थ्य, जन-संचार और खेल के विषयों में भिक्षिक कार्यकलाप तहित कला, संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा के क्षेत्रों में भारत और त्रिनिदाद तथा टोबागो के बीच सम्बन्धों और सद्भावना को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित और विक्रित करने की इच्छा से,

िनम्न प्रकार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - ।

तंविदाकारी पक्षकार अपने विज्ञान और प्रौद्योगिको, तमाज कल्याण विकित्सा अनुसंधान और जन स्वास्थ्य, सूवना के जन-संचार माध्यम और शिक्षा, खेल-कूद के विषयों में शिक्षक कार्यकलाप सहित कला और संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनास्थे तथा प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनो-अपनी संस्कृति और कार्यकलापों की बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें।

अनुच्छेद- 2

प्रत्येक तंविदाकारो पक्षकार अन्य पक्षकार के क्षेत्र में इस आश्रय के कानूनों, विनियमों और सामान्य नीति के अनुसार सांस्कृतिक संस्थान स्थापित कर सकता है; यह समझा जाता है कि सम्बीन्धत सरकार को पूर्व अनुमति किसो भी ऐसी संस्था के स्थापित होने से पूर्व प्राच्त कर ली जायेगी। इस प्रकार को संस्थाओं को स्थापना सम्बन्धो ब्यौरे

.DBP

..../=

सीवदाकारी पक्षकारों के बीच एक अतिरिक्त नयाचार के माध्यम से तय किए जायेंगे। इस करार के लागू होने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी।

अनुच्छेद - 3

सैविदाकारी पक्कार निम्नलिखित को प्रोत्सास्ति करेंगे और सुकर बनाएँ।:-

- र्क्ष व्याख्यान देने, अध्ययन दौरो' और विशेष पाठ्यक्रमो' के लिए प्रोफेसरो' और विशेषको' के पारस्परिक दौरे ;
- १४ शैकिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक, केल और पत्रकार संघो तथा संगठनो के प्रतिनिधियों के पार-स्परिक दौरे ; और
- §ग्र काग्रैस, सम्मेलनों, विवार गोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेना।

अनुच्छेद - 4

संविदाकारी पद्मकार निम्निलिखित को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनाएँगे:-

- किं क्ला और संस्कृति के क्षेत्र में तथा फिल्मों, वृत्तिविक्कों, रेडियो तथा टेलीविजन जैसे जनसँबार माध्यमों के क्षेत्र में आदान -प्रदान ;
- शुंख विज्ञान, रिक्का, खेल, पुरातत्व के क्षेत्र में सामग्रियों का आदान-प्रदान, तथा
- हुँगहू पुस्तकों, पिऋावों तथा अन्य शे किंक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और खेल प्रकाशनों का अनुवाद तथा आदान-प्रदान और जहां संभव हो कलाकृ तियों का आदान-प्रदान।

वनुच्छेद - 5

प्रत्येक सीवदाकारी पक्कार अपनी उच्च शिक्षा की संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करने के इच्छुक दूसरे देश के छात्रों और



वैज्ञानिक कार्मिकों को सुविधाएं तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उनको सहभागिता के लिए प्रयास करेगा।

अनुच्छेद- 6

संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा प्रमाण पत्रों तथा विश्वविद्यालय डिग्रियों को जांच उनमें समकक्षता लाने को दृष्टि से करेंगे।

अनुच्छेद - 7

प्रत्येक संविदाकारो पक्षकार रेडियो, टेली विजन और पुस के माध्यम से दूसरे पक्षकार के जीवन और संस्कृति के विश्विन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए संविदाकारो पक्षकार उपयुक्त सामग्रियों और कार्यक्रों का आदान-प्रदान करेगे।

अनुच्छेद - 8

तंविदावारी पक्षकार निम्नतिथित को सुकर बनास्मे तथा प्रोत्साहित करेंगे:-

- ्कि क्लाकारों तथा नृत्य स्वं संगीत मण्डलियों का आदान-प्रदान ;
- ्ष्र कला एवं अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ; तथा
- १ग १ चलित्रकला के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और एक-दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सहशागिता।

अनुच्छेद - १

संविदानारों पक्षकार दोनों देशों के बोच खेल टोमों को यात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रभावी राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में उनके प्रवास और गतिविधियों को तुकर बनास्ंगे।



अनुच्छेद - 10

संविदाकारो पक्षकार, यथासम्भव सुनिश्चित करेंगे कि उनको शिक्षक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों, विशेष रूप से इतिहास और भूगोल को पाठ्यपुस्तकों में एक दूसरे देश के बारे में तथ्यों से संबंधित कोई तुटि अथवा मिथ्या वर्णन न हो।

अनुच्छेद - ।।

प्रत्येक संविदाकारो पक्षकार इस करार के उद्देशयों को पूर्ति के लिए यथा अपेक्षित अन्य पक्षकार से उद्भूत समस्त सामगो के आयातीकरण को गर-व्यावसायिक प्रयोजनों तथा परिचालन के लिए अपने-अपने कानूनों के अनुसार सुकर बनास्ंगे।

अनुच्छेद - 12

वर्तमान करार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यक समझा जाएगा, संविदाकारों पक्षकारों द्वारा एक संयुक्त समिति स्थापित की जाएगो जिसमें संविदाकारों पक्षकारों के समान संख्या में प्रतिनिध भामिल होंगे। इसकी बैठक दोनों संविदाकारों पक्षकारों की सहमति से अथवा उनमें से किसी एक के भी अनुरोध पर दो वर्ष में कम से कम एक बार बारो-बारों से नई दिल्लो और पोर्ट आफ स्पेन में होगी। संयुक्त समिति निम्नलिश्वित के लिए उत्तरदायी होगी:-

- १क१ दोनों देशों में करार के कायन्वियन को तमय-तमय पर तमोक्षा करना ;
- ुग श सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और शिक्षक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी समीक्षा करना;



- ुध है करार के कार्यक्षत्र के अन्तर्गत क्षेत्रों में किसी भी पक्षकार के हित के किसी विषय के बारे में सम्बन्धित पक्षकार को सिफारिश करना ; तथा

अनुच्छेदः - । 3

वर्तमान करार अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान - प्रदान की तारी खें से प्रभावी होगा। यह पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और उसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए तब तक उसका स्वतः नवीकरण हो जास्गा जब तक कि कोई एक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा के बारे में लिखित रूप से छः माह पहले न बता दे।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिध्यों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किए जाने पर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं तथा अपनी- अपनी मोहरें लगाई हैं।

• • • • • • /=

पोर्ट आफ रचेन में 1987 के मार्च माह के तेरहवें दिन दो मूल प्रतियों में, प्रत्येक हिन्दो और अंग्रेजो में किया गया । सभी पाठ समान रूप ते प्रामाणिक होंगे । तन्देह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की और ते विनदाद और टोबागो गणराज्य को सरकार को ओर स

CULTURAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD & TOBAGO

---000---

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Trinidad and Tobago (hereinafter referred to as the Contracting Parties),

INSPIRED by a common desire to establish and develop closer cultural relations, and

DESTROUS OF promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Trinidad and Tobago in the realms of art, culture, archaeology, education, including academic activity in the fields of science and technology, Social Welfare, public health, mass media and sports,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture, archaeology, education including academic activity in the fields of science and technology, Social Welfare, medical research and public health, mass media of information and education, sports and games in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

ARTICLE 2

Each Contracting Party may establish, in the territory of the other, cultural institutes in accordance with laws, regulations

. . 2 . .

DING.

TONO!

and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any such institution is established. The details regarding the establishment of such institutions shall be settled between the Contracting Parties by means of an additional protocol to be negotiated after this agreement enters into force.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- (a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and special courses;
- (b) reciprocal visits of representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalists' associations and organisations; and
- (c) participation in congresses, conferences, symposia seminars.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- (a) exchanges in the field of art and culture and in the field of mass media such as films, documentaries, radio and television;
- (b) exchange of materials in the fields of science, education, sports, archaeology; and
- (c) translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural



and sports publications, and wherever possible exchange of copies of art objects.

ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships for students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research laboratories as well as to participate in practical training courses.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall examine the diplomas, certificates, and university degrees granted by the other Party with a view to arriving at their equivalence.

ARTICLE 7

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the media of radio, television and press.

With this end in view, the Contracting Parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall facilitate and promote:

- (a) exchange of artistes, and dance and music ensembles;
- (b) exchange of art and other exhibitions; and

. .4. .

Tond Bl

(c) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE 9

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate subject to the national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

ARTICLE 10

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text-books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 11

Each Contracting Party shall facilitate, in accordance with its respective laws, the importation for non-commercial purposes and circulation of all material originating from the other party, that may be necessary for the fulfilment of the objectives of this Agreement.

ARTICLE 12

For the implementation of the objectives of the present
Agreement, a Joint Committee shall be established by the Contracting
Parties as and when considered necessary consisting of an equal
number of representatives of the Contracting Parties, which shall
meet as agreed upon between the Contracting Parties or at the request



of either of them alternately in New Delhi and Port of Spain at least once in two years.

The Joint Committee will be responsible for:

- (a) Reviewing periodically the implementation of the Agreement in the two countries;
- (b) advising the Government concerned on the modalities of implementation;
- (c) formulating cultural, scientific, technological and educational exchange programmes, and reviewing the same;
- (d) recommending to the Party concerned any item of interest to either Party in the fields within the scope of the Agreement; and
- (e) generally advising the Government concerned as to the manner in which the provisions of this Agreement may be implemented effectively.

ARTICLE 13

The present Agreement shall come into force on the date of exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each time unless either Contracting Party gives to the other Party a six months' prior written notice of its intention to terminate it.



IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives being duly authorised thereto by their Governments, have signed the present Agreement and have affixed their seals.

Done at Port of Spain on this thirteenth
day of March, 1987 in two originals in Hindi
and English languages, all the texts being equally authentic except
in case of doubt when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Maraya 2 Modin

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO